उत्तरांचल राज्य में वर्ष 2000–2001 में उपलब्ध होने वाली वनोपज–यूकेलिप्टस, खैर व कोमल काष्ठ प्रजातियों का औद्योगिक इकाइयों को आवंटन एवं मूल्य निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में आयोजित शीर्ष समिति की दिनांक 22.1.2001 को देहरादून में आहूत बैठक के कार्यवृत।

उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–92/वन एवं ग्राम्य विकास/वन/2000 दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा वनार्धारित औद्योगिक इकाइयों को वनोपज के आवंटन एवं मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल के पत्रांक–1084/22–5 (कोमल काष्ट), दिनांक 19.1.2001 द्वारा किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :–

1.	**डा0 आर0 एस0 टोलिया,** प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।	**अध्यक्ष**
2.	**श्री0 पी0 सी0 शर्मा** सचिव, उद्योग, उत्तरांचल।	**सदस्य**
3.	**श्री के0 एन0 सिंह,** प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम, लखनऊ	**सदस्य**
4.	**श्री एन0 के0 जोशी,** प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल।	**सदस्य**
5.	**श्री डी0 एस0 तोमर,** वन संरक्षक, शिवालिक एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल।	**सदस्य सचिव**

1.0– उत्तरांचल राज्य में औद्योगिक इकाइयों को वनोपज (कच्चे माल) के आवंटन की यह प्रथम बैठक है। अतः बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से आये उनके प्रतिनिधियों के विचार सुने गये। बैठक में मैसर्स स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर, मै0 विमको माचिस कं0, बरेली, ए–वन ट्रेडिंग कारपोरेशन, हल्द्वानी, मै0 नार्दन प्लाइवुड, रामनगर, पर्वतीय प्लाईवुड, काशीपुर आदि के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे व कठिनाइयों के बारे में समिति को बताया।

1.1 वनसंरक्षक (शिवालिक) एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल ने अपने पत्रांक–1091/22–5(कोमल काष्ठ), दिनांक 22.01.2001 द्वारा एजेण्डा मदों पर विचार–विमर्श हेतु एक टिप्पणी/नोट उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराया।

1.2 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए समिति को औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल के आबंनटन की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि वन विभाग द्वारा पेड़ों का छपान करके वन निगम को लौट आबंटित किये जाते हैं। वन निगम द्वारा इन वृक्षों का विदोहन करके औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकतानुसार वांछित नपतों में रूपान्तरण करके प्रकाष्ठ विक्रय डिपो पर लाया जाता है, जहां से उद्योगों को निर्धारित मूल्य पर प्रकाष्ठ की आपूर्ति की जाती है।

(क) <u>यूकेलिप्टस</u>:–

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने कागज की औद्योगिक इकाईयों को आबंटित होने वाली यूकेलिप्टिस की मात्रा एवं मूल्य निर्धारण के विषय में समिति को यह अवगत कराया कि विगत वर्षों तक उत्तर–प्रदेश में पेपर मिलों को यूकेलिप्टिस प्रकाष्ठ का आवंटन एवं मूल्य निर्धारण प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति द्वारा किया जाता रहा है। यूकेलिप्टिस की कुल उत्पादित मात्रा का 75% भाग दो पेपर मिलों यथा–मै0 सैन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल्स लि0, लालकुंआ, तथा मै0 स्टार पेपर मिल्स लि0, सहारनपुर में बराबर–बराबर भाग में आवंटित किया जाता था। शेष 25% मात्रा में से 5000 घन मीटर यूकेलिप्टिस का आवंटन मै0 घई इण्डस्ट्रीज, काशीपुर को करने के बाद अवशेष मात्रा खुले बाजार में बेची जाती थी।

यूकेलिप्टिस का मूल्य निर्धारण :–

वर्ष 1999–2000 के लिए यूकेलिप्टिस का मूल्य रू0 2475/C प्रति वा0 मी0 टन निर्धारित था कार्यसूची में यह प्रस्ताव था कि वर्ष 2000–2001 के लिए भी यूकेलिप्टिस का आवंटन मूल्य विगत वर्ष के बराबर अर्थात रू0 2475/= प्रति वा0 मी0 टन रखा जाय। प्रबन्ध निदेशक ने अवगत कराया कि वन निगम को नीलाम में रू0 2532/= प्रति वा0 मी0 टन का मूल्य प्राप्त हो रहा है। पेपर मिलों को पल्प ग्रेड प्रकाष्ठ आपूर्ति होता है, जिसका बक्कल उतारा जाता है। बक्कल उतारने में रू0 25/= प्रति वा0 मी0 टन का अतिरिक्त व्यय आता है, जिसे जोड़कर रू0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन की दर से आवंटन मूल्य रखा जाना उचित होगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि बाजार में कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि के आधार पर पेपर मिलों को कच्चे माल के लिए भुगतान की क्षमता में विगत वर्ष के सापेक्ष कुछ वृद्धि हुई है, अतः रू0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन की दर पर भुगतान करने में पेपर मिलों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000–2001 के लिए यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का आवंटन मूल्य रू0 2557/= प्रति वा0 मी0 टन निर्धारित करने की संस्तुति उत्तरांचल सरकार से की जाये।

<u>यूकेलिप्टस का आवंटन</u> :–

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल का प्रस्ताव था कि सर्वप्रथम इस बात का निर्णय कर लिया जाय कि क्या उत्तरांचल से बाहर की इकाइयों को आवंटन किया जाय या नहीं ? प्रबन्ध निदेशक का मत था कि यूकेलिप्टिस की व्यवस्था जो अभी तक लागू थी, उसी को बनाये रखा जाना चाहिये। यदि केवल सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल को ही सारा यूकेलिप्टिस आवंटित किया जाता है तो उनको एकाधिकार हो जायेगा और वह अपनी शर्तों पर वन विभाग व वन निगम को बाध्य कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया है कि सेन्चुरी पेपर मिल के प्रतिनिधि उनसे मिले थे, उन्होंने बताया कि उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद काश्तकारों से प्राप्त होने वाली यूकेलिप्टस की लकड़ी अब उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिकांशतः उत्तर प्रदेश में आ गये हैं, अतः सेन्चुरी पेपर मिल की इस कमी की क्षतिपूर्ति होनी चाहिये। प्रमुख वन संरक्षक ने सुझाव दिया कि यदि सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल तथा स्टार पेपर मिल्स के आवंटन अनुपात को क्रमशः 60:40 प्रतिशत कर दिया जाय तो सेन्चुरी की तथाकथित क्षति की कुछ सीमा तक पूर्ति हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल राज्य के कुल यूकेलिप्टस का 75 प्रतिशत भाग दोनों पेपर मिलों यथा मै0 सेन्चुरी पल्प एवं पेपर मिल, लालकुआ तथा मै0 स्टार पेपर मिल्स लि0 सहारनपुर में 60:40 के अनुपात में आवंटित करने की संस्तुति शासन से की जाय। शेष 25% मात्रा में से मै0 घई इण्डस्ट्रीज, काशीपुर को गत वर्षों की भांति 5000 घ0 मी0 यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का आवंटन कर दिया जाय। मै0 घई इण्डस्ट्रीज के लिए आवंटन मूल्य विगत वर्ष की भांति ही रखा जाय जो पेपर मिलों के लिए निर्धारित किया गया है। यह मूल्य केवल पेपर पल्प ग्रेड के प्रकाष्ठ अर्थात 21 से 60 सेमी0 मध्य घेरी (बक्कल रहित) के लिए मूल्य रू0 100/= प्रति वा0 मी0 टन अधिक होगा। शेष मात्रा का निस्तारण वन निगम अपने स्तर से सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से करे।

1.3– **खैर प्रकाष्ठ** :–

खैर प्रकाष्ठ के विषय में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने यह बताया कि खैर प्रकाष्ठ की उपलब्ध मात्रा का आवंटन कत्था उद्योग की 9 इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में शासन स्तर पर गठित शीर्ष समिति द्वारा ही प्रत्येक वर्ष किया जाता था, परन्तु खैर प्रकाष्ठ के आवंटन मूल्य निर्धारित करने के अधिकार वन निगम के प्रबन्ध मण्डल में निहित थे। उत्तरांचल राज्य से गठन के बाद केवल 2 ही इकाइयां उत्तरांचल में स्थित हैं, शेष इकाइयां उ0 प्र0 में हैं। प्रबन्ध निदेशक, वन निगम ने खैर के विषय में यह अवगत कराया कि कत्था इकाइयों ने वर्ष 98–99 का आवंटित लगभग 2844 घ0 मी0 खैर प्रकाष्ठ भी नहीं उठाया है, जिसके नीलाम द्वारा निस्तारित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव उ0 प्र0 शासन के विचाराधीन है। वर्ष 99–2000 में उत्पादित लगभग 11314 घ0 मी0 तथा वर्ष 2000–01 में उत्पादित होने वाली लगभग 3634 घ0 मी0 मात्रा के निस्तारण पर निर्णय लिया जाना है। प्रबन्ध निदेशक ने यह भी बताया कि वर्ष 99–2000 के खैर प्रकाष्ठ की मात्रा 20 प्रतिशत के नीलाम के आधार पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा खैर दरों का निर्धारण किया जा चुका है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल का प्रस्ताव था कि चूंकि कत्था इकाइयां आवंटन की दरों को लेकर अक्सर विवाद करती हैं और आवंटित मात्रा नहीं उठाती हैं। अतः खैर का निस्तारण नीलाम द्वारा ही होना चाहिये। विश्व बैंक की भी यह संस्तुतियां हैं कि खैर प्रकाष्ठ की आवंटन प्रक्रिया बन्द होनी चाहिये तथा इसे खुले बाजार में बेचा जाय। प्रमुख वन संरक्षक ने यह भी बताया कि उत्तरांचल राज्य में मात्र दो इकाइयां ही शेष बची हैं, जिनको मात्र 16 प्रतिशत मात्रा मिल सकेगी। शेष 84 प्रतिशत मात्रा तो उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों को ही आवंटित होगी। अतः पुरानी अवशेष एवं आगामी वर्षों में प्राप्त होने वाली समस्त खैर लकड़ी का निस्तारण नीलाम द्वारा करने पर विचार कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिये कि चूंकि पूर्व में खैर आवंटन करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा लिया गया था, अतः अब आवंटन प्रक्रिया बन्द करके नीलाम करने का यह निर्णय भी उत्तरांचल कैबिनेट से लिया जाय। खैर का नीलाम उत्तर प्रदेश वन निगम अपनी नीलाम प्रक्रिया व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत उसी प्रकार करेंगे जैसा कि अब तक वनोपज की नीलामी में अपनायी जा रही है। यह देख लिया जाय कि नीलामी में बाजार भाव के अनुसार विक्रय मूल्य अवश्य प्राप्त हो जायें।

1.4– **कोमल काष्ठ** :–

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ने समिति को अवगत कराया कि कोमल काष्ठ प्रजातियों में पॉपलर मुख्य प्रजाति है, जिसकी वर्ष 2000–01 में लगभग 23000 घ0 मी0 मात्रा है। शेष प्रजातियां मात्र 884 घ0 मी0 है। यह लकड़ी पैकिंग केस, प्लाईवुड, खेलकूद, पेन्सिल, माचिस, खिलौना एवं कृत्रिम अंग निर्माण की इकाइयों को आवंटित की जाती है। पॉपलर को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों का वर्ष 2000–01 के लिए आवंटन मूल्यों का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक, वन निगम द्वारा किया जा चुका है। इन मूल्यों पर समिति द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई और कोमल काष्ठ (पॉपलर को छोड़कर) के आवंटन के प्रस्ताव पर भी शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। केवल उन्हीं इकाइयों को आवंटन होगा जिनके लिए उद्योग विभाग की सहमति है तथा जिनको पिछले वर्ष भी आवंटन हुआ हो, तथा इकाई ने माल उठाया हो।

पॉपलर प्रकाष्ठ की आवंटन दरों के विषय में प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार पॉपलर प्रकाष्ठ की कुल उत्पादित मात्रा का 20 प्रतिशत भाग नीलाम करके, नीलाम में प्राप्त मूल्य को बाजार मूल्य मानकर आवंटन मूल्य निर्धारण किया जाय। वन निगम द्वारा तदनुसार उत्पादन वर्ष 2000–01 के कुल अनुमानित मात्रा के सभी श्रेणी के 20 प्रतिशत भाग की निविदायें आमंत्रित की गयी। निविदा में पॉपलर की 31–45 सेमी0 गोलाई वर्ग के लिए रू0 1455/= प्रति घन मीटर, 46–75 सेमी0 गोलाई वर्ग के लिए रू0 3118/= प्रति घन मी0 तथा 75 सेमी0 से ऊपर गोलाई वर्ग के लिए 3864/= प्रति घन मी0 की दरें प्राप्त हुई है। अतः नीलामी से प्राप्त इन उच्चतम दरों के आधार पर श्रेणीवार आवंटन मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर लिय जाय।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निविदा दरों को बाजार भाव मानते हुए वर्ष 2000–01 के पॉपलर के 31–45 सेमी0 व्यास वर्ग के लिए रू0 1455/= प्रति घन मी0, 45–75 सेमी0 गोलाई वर्ग के लिए रू0 3110/= प्रति घन मी0 तथा 75 सेमी0 से अधिक गोलाई वर्ग के लिए रू0 3864/= प्रति घन मी0 की आवंटन दर निर्धारित करने की संस्तुति उत्तरांचल सरकार से की जाय।

आवंटन की मात्रा के विषय में वन संरक्षक (शिवालिक) एवं वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार शासन को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। गोलाईवार मात्रा का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक, काष्ठ

की उपलब्धता के आधार पर अपने स्तर से करेंगे।

2.0 अन्य विषय :–

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आवंटियों को आवंटित मात्रा की प्रतिभूति जमा कराने के लिए 15 दिनों का समय तथा माल उठाने के लिए 1 माह का समय दिया जाय। यदि निर्धारित अवधि में आवंटियों द्वारा आवंटित प्रकाष्ठ की निकासी नहीं ली जाती है तो आवंटन आदेश निरस्त मानते हुए अवशेष आवंटित लेकिन न उठाये गये प्रकाष्ठ का नीलाम "कैश एण्ड कैरी" विधि से निस्तारित कर लिया जायेगा। इस व्यवस्था पर भी उत्तरांचल शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2.1– समिति द्वारा उक्त संस्तुतियों पर उत्तरांचल सरकार का अनुमोदन प्राप्त करके शासन के औपचारिक आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे। इसके बाद ही आवंटित प्रकाष्ठ की मात्रा को आवंटियों को रिलीज करने की कार्यवाही की जायेगी।

3–समापन :–

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

अनुमोदित

(डी० एस० तोमर)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त एवं पदेन
वन उपयोग अधिकारी
उत्तरांचल राज्य

(डा० आर० एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल सरकार